

समाहरणालय, पटना।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VI

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

पत्रांक- 1955/22/21/11 (अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

दिनांक 8/8/16

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- ऐमनबिगहा, थाना सं०- 85, अंचल-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला- पटना में कुल 0.88 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 0.88 एकड़ है और जो मौजा- ऐमनबिगहा, थाना सं०-85, अंचल-फतुहा, थाना-फतुहा, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	16	59	रैयती	कृषि	0.23	राम विजेन्द्र सिंह पिता रामस्वरूप सिंह, सा०-जमालपुर	58 अंश	61 पूर्ण	518 अंश	60 पूर्ण
2	10	61	रैयती	कृषि	0.41	वृन्द कुमार सिन्हा पिता सिताराम सिंह, सा०-जमालपुर	59 पूर्ण, 60 पूर्ण	62 अंश, 63 अंश	518 अंश	65 अंश
3	10	62	रैयती	कृषि	0.16	राम विजेन्द्र सिंह पिता रामस्वरूप सिंह, सा०-जमालपुर	57 पूर्ण	63 अंश	44 अंश	62 अंश
4	10	64	रैयती	कृषि	0.08	वृन्द कुमार सिन्हा पिता सिताराम सिंह, सा०-जमालपुर	61 अंश	64 अंश	65 अंश	64 अंश

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

ह

ke

समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक सं०— 1955/28179 दिनांक: 8/8/16

1. प्रतिलिपि:— तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:— प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5-5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

6/8
समाहर्ता,
पटना